

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर

(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)


नीलामी सूचना


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, गोरखपुर परिसर में स्थित साईकिल स्टैंड, चाय-पकौड़ी की दुकान संख्या-04 एवं पान की दुकान संख्या-06 की नीलामी दिनांक 26.03.2015 को सम्पन्न हो चुकी है। न्यायालय परिसर स्थित शेष चाय-पकौड़ी, फोटो कापी, फल-जूस, चूड़ा-दही, पान की गुमटी, पौधशाला आदि दुकानों की नीलामी परिसर स्थित सभागार में दिनांक 08.04.2015 को अपराह्न 1:30 बजे होगी। जिस किसी इच्छुक व्यक्ति को बोली बोलनी हो तो वह दिनांक 07.04.2015 को नजारत अनुभाग में आकर 11:00 बजे से 1:00 बजे तक अपनी जमानत की धनराशि, जो अलग-अलग दुकानों के लिए निर्धारित की गई है, जमा कर सकता है।


नीलामी की नियम व शर्तें इस प्रकार हैं।

1. पिछले वर्ष के बकायादार को नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को धनराशि जमा करनी होगी जो कि पिछले वर्ष-2014-15 के ठेके की धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।
3. सभी दुकानों का ठेका अलग-अलग दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक के लिये दिया जायेगा।
4. सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति को ही ठेका दिया जायेगा। किन्तु जनपद न्यायाधीश, जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है, को अधिकारी होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी ठेके को निरस्त कर सकते हैं।
5. अधिकतम बोली बोलने वाले को, बोली गयी सम्पूर्ण धनराशि नीलामी स्वीकार होने के पश्चात् तत्काल केन्द्रीय नजारत में जमा करनी होगी अन्यथा उसके पक्ष में नीलामी स्वतः समाप्त समझी जायेगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. दुकान निश्चित किये गये स्थल पर ही होगी तथा प्रत्येक दुकानदार सामानों की बिक्री दुकान पर करेंगे। यदि कोई न्यायालय परिसर में धूम कर विक्रय करता पाया जायेगा तो उसकी नीलामी निरस्त कर दी जायेगी और उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। यदि चाय-पकौड़ी आदि के दुकान पर प्लास्टिक के मग, प्लेट, गिलास आदि प्रयोग करते पाये गये तो दुकान की नीलामी तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी। नीलामी स्वीकार या अस्वीकृत करने का अन्तिम अधिकारी बिना किसी कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश को सुरक्षित होगा।
7. कोई भी ठेकेदार/व्यक्ति ठेके पर आवंटित दुकान के अतिरिक्त अन्य कोई दुकान रखने का अधिकारी नहीं होगा।
8. बोली जिसके नाम खुलेगी उसे तत्काल ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेखानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा।
9. अधिक बोली दाता के पक्ष में ठेका खुलने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है तो नीलामी समिति स्वविवेकानुसार अधिकतम बोली के उपरान्त भी बोली बोलने वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत कर सकती है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गयी बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
10. यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली गयी अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गई तो उसकी सिक्थोरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी।
11. सभी वर्तमान विक्रेतागण को नीलामी की शर्तों के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकारी रहेगा।

12. किसी ठेकेदार का स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा तय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
13. नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान से अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
14. ठेकेदार को दुकान के आस-पास सफाई की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी तथा गन्दगी पाये जाने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
15. पन के ठेकेदार तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेंगे इस सम्बन्ध में उन्हें एक अण्डर टेकिंग देनी होगी।
16. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्री करेंगे वह खाद्य अपमिश्रण एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।
17. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया
18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को दुकान खाली का कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का दायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।
19. किसी भी व्यक्ति जिसके द्वारा दुकान नीलामी में ली जायेगी, "को न्यायालय द्वारा बिजली उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।



(सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र)
सदस्य
नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश (ईओसीओएक्ट) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एसओसीओ/एसओटीओएक्ट)
गोरखपुर


(पूर्णेन्दु कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य
नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश (ईओसीओएक्ट) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एसओसीओ/एसओटीओएक्ट)
कोर्ट सं०-३, गोरखपुर


(सुरेन्द्र कुमार यादव)
अध्यक्ष
नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश (एसओसीओ/एसओटीओएक्ट)
गोरखपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं जन साधारण में प्रसारण हेतु-

- 1- नाजिर, आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर
- 2- नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, गोरखपुर
- 3- नाजिर, तहसील सदर, गोरखपुर
- 4- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर
- 6- जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर को समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु
- 7- सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु


T-P-W